क्रम संख्या 329

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1976

अग्रहायण 19, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 5221/सत्रह-वि-1-149-76

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976 पर दिनांक 7 दिसम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 52, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 52, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 के द्वारा या अधीन बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त कुछ विधियों का विस्तार करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 15 अक्तूबर, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'बिहार विधि' का तात्पर्य किसी बिहार अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के उस भाग से है, जिसका संबंध संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची 2 और 3 में प्रगणित किसी विषय से है और इसमें कोई परिनियत संलेख भी सम्मिलित है;

(ख) 'राज्य विधि' का तात्पर्य किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के उस भाग से है, जिसका संबंध संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची 2 और 3 में प्रगणित किसी विषय से है और इसमें कोई परिनियत संलेख भी सम्मिलित है;

(ग) 'अन्तरित राज्य क्षेत्र' का तात्पर्य बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 द्वारा बिहार राज्य से अन्तरित और उत्तर प्रदेश में परिवर्द्धित राज्य क्षेत्र से है।

राज्य विधियों का अपनाना

3--(1) अन्तरित राज्य क्षेत्र में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राज्य विधियों का विस्तार उसके तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से होगा और उन विधियों के अधीन किये गये या दिये गये सभी नियुक्तियों, आदेशों या परिनियत संलेखों का विस्तार, आवश्यक परिवर्तन सहित, जहां तक वे उक्त उपान्तरों से असंगत नहीं हैं अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर होगा और, उपान्तरित रूप में वह सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निरसित या संशोधित होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(2) अधिसूचना संख्या 10/राजस्व-1/1-6(1)-72, दिनांक 17 मार्च, 1972 द्वारा यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपान्तर सहित) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के द्वारा निरसित या संशोधित होने तक अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त बना रहेगा और यह समझा जायगा कि सदैव प्रवृत्त बना रहा है।

(3) अन्य सभी राज्य विधियां, जिनका विस्तार या प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है किन्तु जिनका विस्तार या प्रवृत्ति अन्तरित राज्य क्षेत्रों में नहीं है, उक्त दिनांक से अन्तरित राज्य क्षेत्रों में, यथास्थिति, विस्तारित या प्रवृत्त होगी और सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित होने तक प्रवृत्त रहेगी।

(4) सभी बिहार विधियां जिनकी प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व सम्पूर्ण अन्तरित राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में है, ऐसे दिनांक से, उस राज्य क्षेत्र में अपने प्रवर्तन के संबंध में निरसित हो जायेंगी और उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों उन विधियों का निरसन और पुनः अधिनियमन अन्तरित राज्य क्षेत्रों में उपधारा (1) और (3) के आधार पर विस्तारित या प्रवृत्त तद्नुरूप विधियों द्वारा किया गया हो।

वाद, अपील आदि का निस्तारण

4--(1) अन्तरित राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष किसी बिहार विधि के अधीन विचाराधीन सभी वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से, धारा 3 की उपधारा (1) से (3) तक में निर्दिष्ट राज्य विधियों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन संस्थित या दाखिल किए गए वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाहियां समझी जायेंगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेंगी।

(2) किसी बिहार विधि के अधीन सभी वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाहियां, जिस पर उपधारा (1) के उपबन्ध लागू नहीं होते, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से उपशमित हो जायेंगी।

विधि के लागू करने को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की शक्ति

5--इस प्रयोजन के लिये कि अन्तरित राज्य क्षेत्रों में धारा 3 की उपधारा (1), (2) और (3) में उल्लिखित किसी राज्य विधान को लागू करना सुविधाजनक हो, कोई न्यायालय या या अन्य प्राधिकारी तत्व को प्रभावित किये बिना उस विधि का अर्थ ऐसे परिवर्तन सहित कर सकता है, जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष विषय से उसको अनुकूलित करने के लिये आवश्यक या उचित हो।

कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति

6--(1) यदि धारा 3 की उपधारा (4) में उल्लिखित विधियों से उसकी उपधारा (1), (2) और (3) में उल्लिखित विधियों के संक्रमण के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह ऐसी कठिनाई का निवारण करने के लिये आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी दिनांक से जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्तरित राज्य क्षेत्रों के परिवर्द्धन के दिनांक से पूर्व न हो, पूर्ववर्ती प्रभाव दिया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई का अस्तित्व नहीं था या निवारण अपेक्षित नहीं था।

7--(1) उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अध्यादेश, 1976 निरसन और अपवाद एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

[धारा 3(1) देखिये]

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	धारा	उपान्तर की सीमा
1	उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960	धारा 1 धारा 5	उपधारा (3) निकाल दी जायगी। उपधारा (1) में, शब्द, "उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से" रख दिये जायेंगे।
2	उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
3	लैन्ड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1954	धारा 1 धारा 3	उपधारा (2) निकाल दी जाएगी निकाल दी जायेगी।
4	संयक्त प्रांतीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) ऐक्ट, 1948	धारा 1	उपधारा (2) और (3) निकाल दी जायगी।
5	उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी अत्यधिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, 1951	धारा 1	उपधारा (3) निकल दी जायगी।
6	उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पनः अधिनियमन तथा वधीकरण) अधिनियम, 1970 द्वारा निरसित और परिष्कार सहित पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, 1958	धारा 1	उपधारा (2) और (3) निकाल दी जायगी।
7	उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
8	उत्तर प्रदेश सू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
9	यू0 पी0 पंचायतराज ऐक्ट, 1947	धारा 1	उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:--- "(3) उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 1976 में परिभाषित अन्तरित राज्य क्षेत्र के संबंध में यह ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लागू होगा।"
10	उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, 1963	धारा 1 धारा 5	उपधारा (2) निकाल दी जायगी। निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात्: --- "स्पष्टीकरण---अन्तरित राज्य क्षेत्रों के संबंध में, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 में परिभाषित है, 'मौरूसी दर' का तात्पर्य उक्त राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम के लागू करने के पूर्व लगान की विद्यमान दर से है जिसे ऐसी रीति से सनिश्चित किया जायगा जसी विहित की जाय।"

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	धारा	उपान्तर की सीमा
		धारा 7	उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढाया जायगा, अर्थात्: "प्रतिबन्ध यह है कि 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में नियत दिनांक के प्रति निर्देश का अर्थ उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ से दो मास की अवधि की समाप्ति के दिनांक के प्रति निर्देश है।"
11	उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की (अनुसूची, 3 की सूची 2 के साथ पठित) धारा 339 द्वारा यथासंशोधित यूनाइटेड प्राविसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901।	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

No. 5221/XVII-V-1—149-76

Dated Lucknow, December 10, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhi (Bihar Se Antarit Rajya Kshettron Par Vistar) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 52 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 7, 1976.

THE UTTAR PRADESH LAWS (EXTENSION TO TERRITORIES TRANSFERRED FROM BIHAR) ACT, 1976

(U. P. Act no. 52 of 1976).

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to extend certain laws in force in Uttar Pradesh to the territories transferred from Bihar by or under the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 15, 1976.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(*a*) 'Bihar Laws' means so much of any Bihar Act, Ordinance or Regulation, as relates to any of the matters enumerated in Lists II and III in the Seventh Schedule to the Constitution and includes any statutory instrument.

(*b*) 'State law' means so much of any Uttar Pradesh Act, Ordinance or Regulation, as relates to any of the matters enumerated in Lists II and III in the Seventh Schedule to the Constitution and includes any statutory instrument ;

(*c*) 'transferred territories' means the territories transferred from the State of Bihar and added to Uttar Pradesh by the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968.

Assimilation of State Laws.

3. (1) The State Laws specified in the second column of the Schedule shall, as from the date of commencement of this Act, extend to the transferred territories subject to the modifications specified in the third column thereof and all appointments, orders or statutory instruments made or issued thereunder shall, so far as they are not inconsistent with the said modifications, extend, *mutatis mutandis* to the transferred territories and shall, in such modified form, continue in force until repealed or amended by the competent Legislature or other competent authority.

(2) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as extended by notification no. 10/Rajaswa-1/1-6–(1)-72, dated March 17, 1972, shall continue in force and be deemed always to have continued in force (with the modifications specified in that notification) in the transferred territories until repealed or amended by the Uttar Pradesh State Legislature.

(3) All other State laws which immediately before the date of commencement of this Act, extend to, or are in force in, the State of Uttar Pradesh but do not extend to, or are not in force in, the transferred territories shall, as from such date, extend to or, as the case may be, come into force in, the transferred territories and continue in force therein until repealed or amended by the competent Legislature or other competent authority.

(4) All Bihar laws which immediately before the date of commencement of this Act, are in force in the whole or any part of the transferred territories shall, with effect from such date, stand repealed in respect of their operation in such territories and the provisions of sections 6 and 24 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as if those laws were repealed and re-enacted by the corresponding laws extended to, or brought into force, into the transferred territories by virtue of sub-sections (1) and (3).

Disposal of suits, appeals, etc.

4. (1) All suits, appeals, applications or other proceedings under any Bihar law pending before any court or authority in respect of the transferred territories shall, with effect from the date of commencement of this Act, be deemed to be suits, appeals, applications or other proceedings instituted or filed under the corresponding provisions of the State Laws referred to in sub-sections (1) to (3) of section 3 and shall be disposed of accordingly.

(2) All suits, appeals, applications or other proceedings under any Bihar Law to which the provisions of sub-section (1) do not apply shall abate with effect from the date of commencement of this Act.

Power of Courts for purposes of facilitating application of law.

5. For the purposes of facilitating the application of any State law mentioned in sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 to the transferred territories, any court or other authority may construe such law with such alterations, not affecting the substance, as may be necessary or proper to adapt it to the matter before the court or other authority.

Power to remove difficulties.

6. (1) If any difficulty arises in relation to the transition from the laws mentioned in sub-section (4) of section 3 to the laws mentioned in sub-sections (1), (2) and (3) thereof, the State Government may, by notification in the *Gazette*, make such provisions as it considers necessary for the removal of such difficulty:

Provided that no such order shall be made after five years from the date of commencement of this Act.

(2) Any order made under sub-section (1) may be given retrospective effect from any date not earlier than the date of addition of the transferred territories to the State of Uttar Pradesh.

(3) No order under sub-section (1) or sub-section (2) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or was required to be removed.

Repeal and saving.

U. P. Ordinance no. 29 of 1976.

7. (1) The Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Ordinance, 1976 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

THE SCHEDULE

[*See* SECTION 3(1)]

Serial no.	Short title of the Act	Section	Extent of modifications
1	The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.	Section 1 Section 5	Sub-section (3) shall be *omitted.* In sub-section (1), *for* the words "on and from the commencement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972", the words and figures, "on and from the commencement of the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976" shall be *substituted.*
2	The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953.	Section 1	Sub-section (3) shall be *omitted.*
3	The Land Acquisition (U. P. Amendment) Act, 1954.	Section 1 Section 3	Sub-section (2) shall be *omitted.* Shall be *omitted.*
4	The United Provinces Acquisition of Property (Flood Relief) Act, 1948.	Section 1	Sub-sections (2) and (3) shall be *omitted.*
5	The Uttar Pradesh Flood Emergency Powers (Evacuation and Requisition) Act, 1951.	Section 1	Sub-section (3) shall be *omitted.*
6	The U. P. Government Estates Thekedari Abolition Act, 1958 as repealed and re-enacted with modification by the Uttar Pradesh Government Estates Thekedari Abolition (Re-enactment and Validation) Act, 1970).	Section 1	Sub-sections (2) and (3) shall be *omitted.*
7	The Uttar Pradeh House Sites (Flood Affected Areas) (Temporary Powers) Act, 1957.	Section 1	Sub-section (3) shall be *omitted.*
8	The Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952.	Section 1	Sub-section (3) shall be *omitted.*
9	The U. P. Panchayat Raj Act, 1947.	Section 1	*For* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely :— "(3) In relation to the transferred territories as defined in the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976, it shall apply subject to such modifications as the State Government may by notification specify."
10	The Uttar Pradesh Vrihat Jot-Kar Adhiniyam, 1963.	Section 1 Section 5	Sub-section (2) shall be *omitted.* The following Explanation shall be *inserted*, namely :— "Explanation : In relation to the transferred territories as defined in the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976, 'hereditary rates' means rates of rent prevailing before the application of this Act to the said territories ascertained in such manner as may be prescribed."
		Section 7	In sub-section (1), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :— "Provided that in relation to the agricultural year ending on June 30, 1976 the

Serial no.	Short title of the Act	Section	Extent of modifications
			reference to the prescribed date shall be construed as a reference to the date of expiration of a period of two months from the commencement of the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976."
11	The United Provinces Land Revenue Act, 1901 as amended by section 339 of (read with List II of schedule III to) the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.	Section 1	Sub-section(3) shall be *omitted*.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 388 ला० (विधा०)—3783—1976—650 (मे०)।